बख्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ

व्यावसायिक भूखण्डों के नियम व शर्तें –

1. किरायेदार भारत का नागरिक हो, यदि कोई संस्था अथवा कम्पनी है, तो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधीन रजिस्टर्ड हो।
2. किरायानामा रजिस्टर्ड होगा, जिसका समस्त व्यय किरायेदार द्वारा वहन किया जायेगा। भूखण्ड अधिकतम किराया देने वाले को आवंटित किये जायेगें। किरायेदारी की अवधि 10 वर्ष होगी।
3. निर्धारित किराये में 36 माह के उपरान्त 37वें माह से किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
4. किरायेदार किसी अन्य को भूखण्ड किराये पर पुनः नहीं दे सकेगा। **ऐसा करने पर किराये का अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।**
5. संस्था द्वारा मात्र भूमि का किराया लिया जायेगा, जिसकी गणना वर्गफीट में की जायेगी। किरायेदारी समाप्त होने पर किरायेदार द्वारा कराये गये किसी भी प्रकार के निर्माण की कोई लागत संस्था द्वारा देय नहीं होगी।
6. निर्माण सम्बन्धी समस्त उत्तरदायित्व किरायेदार की होगी जैसे नक्शा पास कराना आदि कार्यों पर किया गया व्यय किरायेदार को स्वयं वहन करना होगा। स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त किया गया निर्माण कार्य अवैध होगा।
7. भवन निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के पश्चात किसी प्रकार की कर देयता किरायेदार की होगी विद्यालय की नहीं होगी।
8. किरायेदार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में किराया देय होगा, 12 माह की एडवांस चेक संस्था में जमा करना होगा। यदि कोई चेक बाऊन्स होती है, तो रू0 1000/– का अतिरिक्त शुल्क पेनाल्टी के रूप में देय होगा , जिसकी अवधि एक सप्ताह होगी। तीन माह तक लगातार किराया न जमा होने पर किरायानामा स्वतः समाप्त माना जायेगा।
9. बिजली–पानी का कनेक्शन किरायेदार द्वारा लिया जायेगा, जिसकी अनुमति विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा दी जायेगी।
10. किरायेदार द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में **एक वर्ष के किराये की धनराशि** देय होगी, जिसपर वापसी की स्थिति अथवा समायोजन की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. यदि किरायेदार निश्चित समयावधि के पूर्व किरायेदारी समाप्त करता है, तो 06 माह पूर्व सूचित करना होगा तदोपरान्त प्रतिभूति धनराशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।
13. व्यवसाय किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग की अनुमति किरायेदार द्वारा ली जायेगी।
14. यदि किरायेदार,बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से संस्था को किराया जमा करता है तो वृद्धि दर को समान्तर रखते हुये समयावधि में 05 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है किन्तु यह वृद्धि 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके उपरान्त भूमि को **प्रत्येक स्थित** में खाली ही करना होगा।

कृषि योग्य भूमि के नियम व शर्तें –

1. कृषि योग्य भूखण्ड तीन वर्ष के लिये अधिकतम किराया देने वाले को दी जायेगी।
2. तीन वर्ष के बाद पुनः परीक्षण कर नवीनीकरण/पुनर्निलामी नई दरों पर की जायेगी।
3. भूखण्ड के किराया का 50 प्रतिशत जून माह में तथा शेष 50 प्रतिशत नवम्बर माह में देय होगा, जिसकी एडवांस चेक जमा करनी होगी। एकमुश्त अग्रिम किराया देने वाले को वरीयता दी जायेगी।

व्यावसायिक भूखण्डों के आवेदन की विधि –

1. संस्था द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये आवेदन फार्म/सीधे संस्था कार्यालय से प्राप्त आवेदन फार्म परआवेदक द्वारा सभी सूचनायें स्पष्ट रूप से भरनी होगी। अधूरे भरे गये फार्म स्वीकार नहीं होंगे।
2. आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20-06-2025 है, इससे पूर्व संस्था को आवेदन प्राप्त हो जाने चाहिये।
3. आवेदन फार्म के साथ आवेदक को स्वयं के आधार की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
4. आवेदन फार्म भेजने का पता: प्रधानाचार्य,

   बख्शी का तालाब इ० कालेज,
   लखनऊ-226201
5. Website: https://bktic.in/bktic-home

आवेदनविधि –

1. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दि0 20-06-2025 है। दि0 21-06-2025..... को बख्शी का तालाब इंटर कालेज के प्रधानाचार्य कक्ष में सभी प्राप्त आवेदन पत्र प्रातः 11 बजे खोले जायेगें।
2. आवेदन पत्रों को खोलने के समय आवेदक स्वयं अपनी आई0डी0 के साथ उपस्थित रह सकता है।
3. सभी आवेदन पत्र खोलने के बाद वरीयता सूची तैयार की जायेगी और वरीयता क्रम में ही आबँटन किया जायेगा, जिसकी घोषणा उसी दिन कर दी जायेगी।
4. बाजार दर से कम किराया प्राप्त होने की दशा में आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने का एकाधिकार आवंटन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

बख्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ

कृषि/ व्यावसायिक भूखण्डों हेतु आवेदन फार्म

Photo

1. आवेदन तिथि – ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)– ....
3. पिता का नाम (हिन्दी में)– ....
4. स्थायी पता – ....
....
....
5. अस्थाई पता – ....
....
....
6. मोबाइल नम्बर –
7. आधार नम्बर –
8. वाट्सअप नम्बर –
9. वांछित भूमि का विवरण
   - क – ग्राम – ....
   - ब – गाटा सं० – ....
   - स – रकबा – ....
10. प्रस्तावित वार्षिक किराया – (अंको में) ....
    (शब्दों में) ....
11. जमा की जाने वाली प्रतिभूति धनराशि –
    (अंको में) ....
    (शब्दों में) ....
12. अन्य – आवेदक फार्म रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अथवा सील्ड लिफाफा संस्था कार्यालय में प्रधानाचार्य बख्शी का तालाब इ० कालेज लखनऊ के नाम जमा करे।

हस्ताक्षर